



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22092023-248905
CG-DL-E-22092023-248905

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 653]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 21, 2023/भाद्र 30, 1945

No. 653]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 21, 2023/BHADRA 30, 1945

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2023

फा. सं. आरए-14026(11)/4/2020-केविआ.—चूंकि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2020 (इसके बाद "आरई टैरिफ विनियम, 2020" के रूप में संदर्भित) दिनांक 1 जुलाई, 2020 से 31 मार्च, 2023 की अवधि के लिए प्रवृत्त था।

चूंकि आयोग ने दिनांक 27 मार्च, 2023 की अधिसूचना सं.आरए-14026(11)/4/2020- केविआ द्वारा उक्त विनियमों के लागू होने की अवधि का विस्तार दिनांक 30 सितम्बर, 2023 तक किया था।

इसलिए अब, आयोग आरई टैरिफ विनियम, 2020 के विनियम 1 के खंड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा उक्त विनियमों के लागू होने की अवधि में दिनांक 31 मार्च, 2024 तक और अधिक विस्तार करता है।

हरप्रीत सिंह पुथी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./436/2023-24]

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th September, 2023

F. No. RA-14026(11)/4/2020-CERC.—Whereas the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Tariff determination from Renewable Energy Sources) Regulations, 2020 (hereinafter referred as “RE Tariff Regulations, 2020”) were applicable for the period from 1st July 2020 to 31st March 2023.

Whereas the Commission vide notification No.: RA-14026(11)/4/2020-CERC dated 27th March, 2023 extended the period of applicability of the said regulations till 30th September, 2023.

Now therefore, in exercise of the powers under clause (2) of Regulation 1 of the RE Tariff Regulations, 2020 the Commission hereby further extends the period of applicability of the said regulations till 31st March, 2024.

HARPREET SINGH PRUTHI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./436/2023-24]